

कार्यालय वन संरक्षक, भोपाल वृत्त भोपाल

खेल भवन 74 बंगला, भोपाल दूरभाष 2674296 कार्या 2674345

भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2023

क्रमांक/मा.चि./ 5012
प्रति,

वनमंडलाधिकारी,
सामान्य वनमंडल विदिशा

विषय:- जिला विदिशा, वनमंडल विदिशा अंतर्गत सेमलखेड़ी तीर्थ लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 70.880 हेक्टेयर वनभूमि, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत, कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना, बाह नदी संभाग गंज बासौदा, जिला विदिशा को उपयोग पर देने बाबत।

(ऑन लाईन प्रस्ताव क्र FP/MP/IRRIG/30846/2017)

संदर्भ:- आपका ऑन लाईन प्रस्तुत प्रस्ताव दिनांक 16/08/2023

—00—

विषयान्तर्गत आपके द्वारा दिनांक 16/8/23 को वनमंडल विदिशा अंतर्गत सेमलखेड़ी तीर्थ लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 70.880 हेक्टेयर वनभूमि कार्यपालन यंत्री संजय सागर परियोजना, बाह नदी संभाग गंज बासौदा, जिला विदिशा को उपयोग पर देने के लिए, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनुमति हेतु, निर्धारित प्रारूप भाग II की पूर्ति उपरांत, ऑन लाईन प्रस्ताव, इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

उक्त प्रस्ताव का परीक्षण किया गया, जिसमें निम्नानुसार कमियां/त्रुटियां परिलक्षित हुई हैं:-

1. प्रस्ताव की हार्ड प्रति आज दिनांक तक अप्राप्त हैं।
2. निर्धारित प्रारूप भाग I अ.क्र. अ.क्र. C (iv) के तारतम्य में व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र के upload Geo-reference map में अंकित अक्षांश देशांश के पॉइंट 20, 25, 26 एवं 28 सही क्रम में अंकित नहीं हैं।
3. निर्धारित प्रारूप भाग I अ.क्र. L (iv)1(i) के तारतम्य में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र ग्राम सांकलोन के Ownership proof में कलेक्टर हस्तातरण आदेश ग्राम कांजीखेड़ी का अपलोड किया गया है। कृपया ग्राम सांकलोन का कलेक्टर का हस्तातरण आदेश अपलोड करें।
4. निर्धारित प्रारूप भाग I अ.क्र. L (iv)2(d) में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र ग्राम धरमपुर के खसरा क्रमांक 44, 45, 46, 47, 48, एवं 49 लेख किया गया है। जबकि, प्रकरण में उक्त ग्राम के खसरा क्रमांक 48 एवं 49 का रकबा ही वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित है।
5. निर्धारित प्रारूप भाग I अ.क्र. L (iv)2(i) के तारतम्य में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र ग्राम धरमपुर के Ownership proof में कलेक्टर हस्तातरण आदेश ग्राम कांजीखेड़ी का अपलोड किया गया है। कृपया ग्राम धरमपुर का कलेक्टर का हस्तातरण आदेश अपलोड करें।
6. निर्धारित प्रारूप भाग I अ.क्र. M (ii)(a) के तारतम्य में upload CAT Plan ओपन नहीं हो रहा है।
7. निर्धारित प्रारूप भाग I अ.क्र. M (ii)(b) के तारतम्य में upload Approved CAT Plan ओपन नहीं हो रहा है।
8. निर्धारित प्रारूप भाग II अ.क्र. 15 के तारतम्य में upload site inspection report of DFO के में निम्नानुसार त्रुटियां हैं:-
अ. अनुक्रम 10, **Current land use. Is this area managed as per prescriptions in the Working Plan में RDF and encroachment Working circle** लेख किया गया है। जबकि निर्धारित प्रारूप भाग II अ.क्र. 5 में **PWC** लेख किया गया है।
- ब. इसी प्रकार अनुक्रम 15, में **Compensatory afforestation proposed is on forest land or non-forest land Location** में आपके द्वारा **no** लेख किया गया है जबकि वनमंडल विदिशा के ग्राम सांकलोन, कांजीखेड़ी एवं धरमपुर में गैर वनभूमि में वै0वृ0रो किया जा रहा है।
- स. इसी प्रकार अनुक्रम 17, में **Dependence of tribals in the area. Whether the rights of the tribals have been recognized in this area.** में आपके द्वारा **Yes** लेख किया गया है। जबकि इस कार्यालय की जानकारी अनुसार क्षेत्र में आदिवासियों की निर्भरता **no** होना चाहिए।
- द. इसी प्रकार अनुक्रम 22 एवं 23 में दी गई टीप भी त्रुटिपूर्ण हैं। अतः कृपया परीक्षण कर सुधार उपरांत, संशोधित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन अपलोड करें।
9. निर्धारित प्रारूप भाग II अ.क्र. 16 के तारतम्य में upload अनुशंसा के स्थान पर वै0वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि का उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड किया गया है। कृपया सुधार कर अनुशंसा पत्र अपलोड करें।
अतः कृपया उपरोक्तानुसार कमियों की पूर्ति उपरांत, पूर्ण रूपेण प्रस्ताव, ऑन लाईन एवं हार्ड प्रति में तत्काल भेजे।

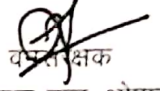
वनसंरक्षक
भोपाल वृत्त, भोपाल

E:\cf act year 2012\cf act Jan 2023.doc

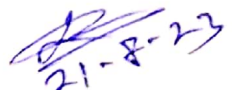
पू०क्रमांक/मा.चि./ 5013
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2023

1. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (भू-प्रबंध) मध्य प्रदेश भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह नदी संगम गंज बारासौदा, जिला विदिशा की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही अग्रेषित।


वनसंरक्षक

भोपाल वृत्त, भोपाल


21-8-23